राजस्थान सरकार
न्याय विभाग

क्रमांकः प.2(2) सामान्य/न्याय/2025 जयपुर, दिनांक

1. समस्त अति.मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव

2. समस्त जिला कलक्टर एवं
   जिला नोडल अधिकारी, लाईट्स।

विषयः– न्यायिक प्रकरणों में अधिवक्ता के नाम का अद्यतन कराने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

लाईट्स पोर्टल पर राज्य सरकार के विभागों द्वारा दर्ज न्यायिक प्रकरणों में पैरवी करने के लिए राजकीय अधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। इस विभाग के ध्यान में लाया गया है कि पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों में अधिवक्ताओं के परिवर्तित होने पर उनका अद्यतन लाईटस् पोर्टल पर नही किया जा रहा है यदि किया भी जाता है तो प्रभारी अधिकारी द्वारा उसका वकालतनामा न्यायालय में प्रस्तुत नही किया जा रहा है इस कारण अधिवक्ता को यह जानकारी में नही होता है कि उनके पास कौन–कौन से प्रकरण है एवं आज उनका प्रकरण न्यायालय में सुनवाई हेतु नियत है। अधिवक्ता द्वारा लगातार अनुपस्थित रहने कि दशा में न्यायालय द्वारा विभाग पर शास्ति भी आरोपित कर दी जाती है।

अतः आपसे अनुरोध है कि लाईटस् पोर्टल पर शत–प्रतिशत अपडेशन सुनिश्चित करने, अधिवक्ता के परिवर्तित होने पर प्रभारी अधिकारी द्वारा नये अधिवक्ता का वकालतनामा समय पर न्यायालय में प्रस्तुत कराना सुनिश्चित करने हेतु अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करने का श्रम करें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanhaiya Lal Swami
Designation: Special Secretary To Government
Date: 2025.06.17 16:06:01 IST
Reason: Approved

शासन विशिष्ट सचिव